(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/1065 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-9-2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 170/अपील/2014-15.

---

1. मिलिन्द कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार आर्य
2. रोमित कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार आर्य
   निवासी चिचोली
   तहसील चिचोली जिला बैतूल ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. सर्वसाधारण
2. श्रीमती राजबाला पत्नी सुरेन्द्र कुमार आर्य
   निवासी छिपनिया पिपरिया
   तहसील आमला जिला बैतूल
3. श्रीमती अंजलि पत्नी हुकुमचंद आर्य
   निवासी ईदगाह हिल्स
   नीलकण्ठ कॉलौनी, भोपाल
4. श्रीमती आरती पत्नी शिवकुमार मालवीय
   निवासी ग्राम भौरा
   तहसील शाहपुर जिला बैतूल ....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अनिल कुमार सोनी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2, 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, चिचोली के समक्ष संहिता की धारा 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सोनपुर तहसील चिचोली जिला बैतूल स्थित प्रश्नाधीन खसरा क्रमांक 14/3, 37, 2021, 63/2, रकबा क्रमश: 0.642, 1.230, 1.837 कुल रकबा 3.709 हेक्टेयर भूमि आवेदकगण के पिता के स्वामित्व की है । आवेदकगण के पिता द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर खसरा क्रमांक 14/3 में से रकबा 0.321 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 63/2 में से रकबा 0.919 हेक्टेयर का वसीयत आवेदक क्रमांक 1 मिलिन्द कुमार के पक्ष में एवं खसरा क्रमांक 14/3 में से रकबा 0.321 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 63/2 में से रकबा 0.918, खसरा क्रमांक 37 में से रकबा 1.230 हेक्टेयर का वसीयत आवेदक क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है । आवेदकगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है, अत: वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/12-13 पंजीबद्ध कर दिनांक 30-12-2013 को आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-1-2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-9-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में उभय पक्ष के ग्राह्यता व अंतिम तर्क सुने गये । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों का उचित परीक्षण नहीं किया गया है एवं पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण की विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर, आवेदकगण का नामांतरण आदेश निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है, जिस पर कोई विचार नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भूल की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा पिता की समुचित सेवा की है तथा उनकी मृत्यु उपरांत क्रिया कर्म आदि कार्यक्रम उनके द्वारा किये गये है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण के पिता द्वारा आवेदकगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित की गई है और तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित

पाये जाने पर वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किये गये हैं, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. अनावेदिका श्रीमती राजबाला द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने स्वर्गीय पति सुरेन्द्र कुमार आर्य के चिकित्सीय दस्तावेज एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा यह भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई कि उनके पति के नाम जो भूमि दर्ज थी, वह पैतृक सम्पत्ति थी ।

2. उपरोक्त तथ्यों की जानकारी अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इसलिए प्रस्तुत नहीं की गई थी कि तहसील न्यायालय को कोई सूचना आवेदकगण को नहीं देते हुए एकपक्षीय आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया था ।

3. अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा दस्तावेज एवं अपने कथनों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है, इसलिए वसीयतकर्ता को पैतृक भूमि की वसीयत करने का कानूरी रूप से कोई अधिकार नहीं है और वसीयतकर्ता वसीयत दिनांक से पूर्व मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीमार थे । वसीयत के पूर्व पति के बीमार होने एवं मानसिक स्थिति ठीक न होने तथा सौतेले पुत्रों (आवेदकगण) द्वारा डराने धमकाने एवं जमीन खुर्द-बुर्द किये जाने के संबंध में थाना बोरदेही जिला बैतूल में एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया था कि उक्त वसीयत कूटरचित है, क्योंकि उसमें वसीयतकर्ता हस्ताक्षरों में भिन्न्ता है, जिसके खण्डन में आवेदकगण द्वारा कोई दस्तावेज अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

4. अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना कि वसीयतकर्ता की बीमारी में वसीयत कराई गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि वसीयत के लिए मापदण्ड हैं- जैसे कि (1) वसीयतकर्ता को वसीयत दिनांक को स्वस्थ चित्त अवस्था होना चाहिए (2) वसीयतनामें में दो स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए (3) वसीयत में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वसीयत स्वस्थ चित्त अवस्था में वारिसानों में किसको कितना हिस्सा दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा

रहा है तो क्यों नहीं। अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी माना कि तथाकथित वसीयत में जो साक्षीगण हैं, वह वसीयतकर्ता का सगा भाई व उनका पुत्र है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना कि वसीयतकर्ता की बीमारी में वसीयत कराई गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया है, वह उचित व सही है, जिसकी पुष्टि आयुक्त के आदेश से भी होती है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में समयसीमा के आवेदकगण के आवेदन के तथ्यों का अनावेदकगण द्वारा विरोध नहीं किया गया। अतः आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी समयसीमा में ग्राह्य की जाती है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक सुरेन्द्र के नाम दर्ज भूमि स्व. अर्जित न होकर पैतृक संपत्ति थी तथा वसीयत तैयार करते समय वसीयतकर्ता की शारीरिक व मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अनावेदिका श्रीमती राजबाला द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है, जिस पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अनावेदिका श्रीमती राजबाला द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि मेरे पति की अस्वस्थता एवं मानसिक शिथिलता का अनुचित लाभ लेते हुए मेरे पुत्रों के खिलाफ असत्य आधारों पर दस्तावेज तैयार कराया गया है। प्रकरण में संलग्न वसीयतनामा तथा उस पर गवाह के साक्ष्य के रूप में अंकित साक्ष्य गवाह स्वतंत्र गवाह न होकर सदस्य सगा चाचा तथा उसका पुत्र है, जो कि संदेह उत्पन्न करता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के निकटतम वारसान उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी का नाम अभिलेख में दर्ज कर वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई

आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर